

हटि-एंड-रन कानून पर चर्चा

चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्टर्स और वाणज्यिक ड्राइवर्स के हालिया वरिध प्रदर्शन ने [भारतीय न्याय संहिता, 2023 \(BNS\)](#) की विवादास्पद धारा 106 (2) पर प्रकाश डाला है।

मुख्य बंदि

- यह धारा, जो हटि-एंड-रन की घटनाओं के लिये गंभीर दंड का प्रावधान करती है, ड्राइवगि समुदाय के बीच असंतोष का केंद्र बंदि बन गई है।
- सरकार द्वारा यह आश्वासन दिये जाने के बाद कविह हटि-एंड-रन के खिलाफ विवादास्पद कानून लागू करने से पहले हतिधारकों से परामर्श करेगी, देशव्यापी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल रद्द कर दी गई है।
- ट्रांसपोर्टर और वाणज्यिक चालक BNS, 2023 की धारा 106 (2) को वापस लेने या संशोधन की मांग कर रहे हैं।
 - उनका तर्क है कि निर्धारित दंड, जसमें 10 वर्ष की कैद और 7 लाख रु. का जुर्माना, अत्यधिक गंभीर हैं।

हटि-एंड-रन कानून के प्रावधान

- हटि-एंड-रन प्रावधान भारतीय न्याय संहिता (BNS) का हसिसा है, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतसि्थापति करने के लिये तैयार है।
 - BNS, 2023 की धारा 106 (2) में दुर्घटना स्थल से भागने और कसिी पुलिस अधिकारी या मजसि्ट्रेट को घटना की रपिर्ट करने में वफिल रहने पर 10 वर्ष तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
 - हालाँकि, यदि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की रपिर्ट करता है, तो उन पर धारा 106(2) के बजाय धारा 106(1) के तहत आरोप लगाया जाएगा। धारा 106(1) में कसिी जल्दबाजी या लापरवाही से हुई मौत के लिये पाँच वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आती।